

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3980  
27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति

3980. श्रीमती संगीता यादव:  
श्री मिथलेश कुमार:  
श्रीमती किरण चौधरी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति के परिणामस्वरूप स्क्रेप प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) कार्यरत पंजीकृत स्क्रेप प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या स्क्रेप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की क्षमता में वृद्धि हुई है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या घरेलू उपलब्धता के कारण स्क्रेप का आयात कम हुआ है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (छ): इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों को शामिल करके एक उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति, 2019 अधिसूचित की थी। इसके पश्चात, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वाहन पुनर्चक्रण नीति, 2021 के तहत देशभर में पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) स्थापित की गई हैं। दिनांक 12.03.2026 तक, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 134 आरवीएसएफ प्रचालनरत हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से 4,65,393 वाहनों को स्क्रेप किया गया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू इस्पात स्क्रेप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्क्रेप की खपत वित्तीय वर्ष 2019 में 25.58 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 33.36 एमटी हो गई है। इसी समान अवधि के दौरान, घरेलू स्क्रेप उत्पादन में 5.65 एमटी की वृद्धि हुई है, जबकि स्क्रेप आयात में 2.13 एमटी की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की क्षमता वित्त वर्ष 2019-20 में 40.51 एमटी से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 43.99 एमटी हो गई है।

\*\*\*\*\*